न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 288 / 2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2025 / 532**

दायर दिनांक :— 23.09.2025 **निर्णय दिनांक :— 17.10.2025**

1. बगताराम पुत्र भभूताराम जाति दर्जी नि. मनचितिया तह. बाप जिला फलोदी

प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार, बाप
2. मैसर्स गिरीराज एन्टर प्राईजेज मालपानी हाऊस आई जी रोड़सगमनेर जिला अहमदनगर महाराष्ट्र जरिये संजय मालपानी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीया

2. अप्रार्थी जरिये प्रतिनिधि

3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 27 / 1 रकबा 8.0937 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 27 / 3 रकबा 8.4822 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा बावड़ी बरसिंगा पटवार हल्का बड़ीसिड तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस सलंग्न पेश है। उक्त भूमि के जमाबंदी खाते तो अलग–अलग दर्ज थे लेकिन भू–नक्शा में जमाबंदी खातों अनुसार तरमीम नहीं हो रखी थी। उक्त प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 27 / 1 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त चला आ रहा है और प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के चारों ओर खूंटे रोपकर तारबंदी कर रखी है और खूंटे रोपे गये भूमि में प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेता आ रहा है। वर्तमान में पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश एवं बिना मौके की जांच किये ही अपने ऑफिस में बैठे ही तरमीम प्रार्थी से बाले–बाले एवं प्रार्थी को सूचित किये वगैर ही ग्राम बावड़ी बरसिंगा पटवार हल्का बड़ीसिड तहसील बाप जिला

उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

फलोदी के खेत खसरा नम्बर 27/1 रकबा 8.0937 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 27/3 रकबा 8.4822 हैक्टेयर भूमि की नक्शा ट्रेस में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 के कब्जा काश्त के वितरीत तरमीम करदी। जबकि प्रार्थी का मौके पर कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। इसलिये प्रार्थी ग्राम बावड़ी बरसिंगा पटवार हल्का बड़ीसिड तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 27/1 रकबा 8.0937 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 27/3 रकबा 8.4822 हैक्टेयर भूमि के नक्शा लट्ठा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 के कब्जा व काश्त के विपरीत की गई तरमीम को निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा व काश्त एवं संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने का अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश किया जा रहा है जिसे उक्त प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 2 जवाब मय दस्तावेजात पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम बावड़ीबरसिंगा पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी खेत खसरा नम्बर 27/1 रकबा 8.0937 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 27/3 रकबा 8.4822 हैक्टेयर भूमि की तरमीम रिपोर्ट अनुसार किया जाना उचित है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस पर मनन किया गया। ग्राम बावड़ीबरसिंगा पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी खेत खसरा नम्बर 27/1 रकबा 8.0937 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 27/3 रकबा 8.4822 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त की जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का बडीसिड की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बावड़ीबरसिंगा पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी खेत खसरा नम्बर 27/1 रकबा 8.0937 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 27/3 रकबा 8.4822 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का बडीसिड की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/10/25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)